रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 12, 1994/वैशाख 22, 1916
No. 34] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 12, 1994/VAISAKHA 22, 1916

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 1994

आ.अ. 82(अ).—यत: लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन कराने के प्रयोजन से राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन जारी और भारत के राजपत्र, असाधारण भाग–II खण्ड-3 उप धारा (ii) में तारीख 19 अप्रैल, 1991 को प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के 80–मेरठ संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र सहित सभी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों (उनको छोड़कर जो जम्मू-कश्मीर राज्य में हैं) से यह अपेक्षा की थी कि वे उक्त सदन के लिए सदस्य निर्वाचित करें,

और यत:, निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के अधीन 19 अप्रैल, 1991 को जारी अपनी अधिसूचना सं. 464/91(1) के द्वारा इसके साथ-साथ 20 मई, 1991 को ऐसी तारीख के रूप में नियत किया जिसको यदि आवश्यक हुआ तो उपर्युक्त 80–मेरठ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से मतदान होगा,

और यत:, निर्वाचन आयोग को प्राप्त राज्य सरकार, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग आफिसर, प्रेक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित सूचना और आयोग को उपलब्ध सूचना के अन्य अपेक्षित स्रोतों से यह जानकारी थी कि मतदान के दिन अर्थात् 20 मई, 1991 को वहां पर मतदान केन्द्रों पर कब्जा करके बूथ हथियाने, मतदान प्राधिकारियों को मतपत्रों के समर्पण करवाने, मतदान केन्द्रों पर जबरदस्ती अधिकार जमाने तथा मतदान के लिए आने वाले मतदाताओं की सहज पहुंच को रोकने, निर्वाचकों को धमकाने और उन्हें अपने मतदान के लिए मतदान केन्द्रों में जाने से रोकने जैसी निर्वाचन-कदाचार की घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी थी और जिसके परिणामस्वरूप उक्त 80–मेरठ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से नहीं हुआ था,

और यत:, आयोग ने, संविधान के अनुच्छेद 324, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 58, 58क, 135क और 153 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस ओर इसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने ता. 21-5-1991 के आदेश द्वारा उक्त 80–मेरठ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन प्रत्यादिष्ट कर दिया था,

और यत:, आयोग के तारीख 21-5-1991 के उक्त आदेश को एक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री अमर पाल सिंह द्वारा 1991 की रिट याचिका सं० 1976 में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत किया गया था।

और यत:, दिल्ली उच्च न्यायालय ने तारीख 13-5-1993 के अपने निर्णय और आदेश द्वारा यह निदेश दिया कि 20-5-1991 को विद्यमान निर्वाचक नामावली के आधार पर समस्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पुनर्मतदान कराया जाए,

और यत:, दिल्ली उच्च न्यायालय के तारीख 13-5-1993 के उपर्युक्त निर्णय और आदेश के विरुद्ध क्रमश: निर्वाचन आयोग और उक्त श्री अमरपाल सिंह द्वारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष 1993 की सिविल अपील संख्या 2911 और 1993 की 4220 की दो प्रति अपीलें दाखिल की गईं,

और यत:, उच्चतम न्यायालय ने तारीख 12-4-1994 के अपने एक ही आदेश द्वारा उपरोक्त सिविल अपीलों का निपटान करते समय निम्न प्रकार से निदेश दिया—

"पक्षकारों के लिए विद्वान काउन्सलों के मध्य हुए समझौते को देखते हुए, कि 394–हस्तिनापुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट खण्ड को छोड़कर 80–मेरठ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी विधान सभा खण्डों में यथा संभव यथाशीघ्र उन्हीं अभ्यर्थियों के साथ पुनर्मतदान करवाया जायेगा, आपेक्षित निर्णय से उठने वाले कानून के प्रश्नों को खुला छोड़ते हुए दोनों अपीलों का निपटान किया जाता है। निर्वाचन उन निर्वाचक नामावलियों के आधार पर पूरा किया जायेगा जो उस तारीख को विद्यमान थीं जब निर्वाचन आयोग के आदेश अस्तित्व में आये। भारत निर्वाचन आयोग की कार्रवाई और निर्वाचन याचिका के माध्यम से उन्हें उपलब्ध किसी भी अन्य आधार पर निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन को प्रश्नगत करने के भी प्रश्न पर अभ्यर्थियों के अधिकार अप्रभावित रहेंगे तथापि, यह, भविष्य के लिए एक पूर्व निर्णय गठित नहीं होगा।"

और यत:, गृह मंत्रालय में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के परामर्श से आयोग ने यह निर्णय लिया है कि उच्चतम न्यायालय के तारीख 12-4-1994 के उपर्युक्त आदेश के अनुसरण में उक्त 80-मेरठ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 393–किठौर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 396-मेरठ कैंट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 397-मेरठ शहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और 398–खरखोदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पुनर्मतदान 26 मई, 1994 को कराया जायेगा,

अत: अब उच्चतम न्यायालय के तारीख 12-4-1994 के उपर्युक्त आदेश के अनुसरण में आयोग एतद्द्वारा निम्न प्रकार से निदेश देता है —

1. उक्त 80–मेरठ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 393–किठौर, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 396–मेरठ कैंट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 397–मेरठ शहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और 398–खरखोदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 26 मई, 1994 को नये सिरे से मतदान होगा।

2 नये सिरे से मतदान 7.00 बजे प्रात: और 5.00 बजे सायं के बीच होगा।

3. नये सिरे से मतदान निर्वाचन लड़ने वाले उन्हीं अभ्यर्थियों तक सीमित होगा जिनके नाम अभ्यर्थिताएं वापिस लेने के अन्तिम घंटों के बाद 26 अप्रैल, 1991 को रिटर्निंग आफिसर द्वारा तैयार की गई निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए गए थे।

4. नये सिरे से मतदान ऊपर वर्णित चारों विधान सभा खण्डों की उसी निर्वाचन नामावली के आधार पर होगा जो मूल मतदान वाले दिन अर्थात् 20-5-1991 को अस्तित्व में थी और नये सिरे से मतदान के उद्देश्य से उन नामावलियों में कोई भी परिवर्तन यदि कोई हो, नहीं किया जाएगा।

5. नये सिरे से मतदान उन्हीं मतदान केन्द्रों पर किया जाएगा जहां मूल मतदान 20-5-1991 को हुआ था। यदि ऐसे किसी मतदान केन्द्र पर किसी अपरिहार्य कारणों से नये सिरे से मतदान कराना संभव नहीं है तो ऐसी स्थिति में जिला निर्वाचन अधिकारी 17 मई, 1994 तक, आयोग के अनुमोदन से, प्रभावित मतदान केन्द्र के नए स्थान के बारे में निर्णय लेंगे।

6. उक्त 80–मेरठ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन का परिणाम, रिटर्निंग आफिसर द्वारा 393–किठौर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 396–मेरठ कैंट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 397–मेरठ शहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और 398–खरखोदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के ऊपर वर्णित विधान सभा खण्डों में 26 मई, 1994 को नये सिरे से डाले गए मतों और 394-हस्तिनापुर विधान सभा निर्वाचन खण्ड में पहले ही 20-5-1991 को डाले गए मतों का हिसाब में लेते हुए परिकलित किया जाएगा।

[सं. 465/3 प्र /लो स./91(3)/1162]

हरिन्द्र हीरा, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 1994

O.N. 82(E).—Whereas for the purpose of holding a general election to the House of the People, the President had, by notification issued under sub-section (2) of section 14 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated 19th April, 1991 called upon all the Parliamentary Constituencies (other than those within the State of Jammu and Kashmir) including 80-Meerut Parliamentary Constituency in the State of Uttar Pradesh, to elect members of the said House;

And whereas, the Election Commission vide its notification No. 464|91(1) dated 19th April, 1991 issued under section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) had inter alia fixed the 20th May, 1991, as the date on which poll shall, if necessary, be taken in the aforesaid 80-Meerut Parliamentary Constituency;

And whereas, the Election Commission received information based on reports of the State Govt., the Chief Electoral Officer of the State, the Returning Officer, the Observers, and other relevant sources of information available to the Commission that on the date of poll i.e. 20th May, 1991, there had been large scale incidents of electoral malpractices involving booth capturing by seisure of polling stations, making polling authorities surrender the ballot papers, taking forcible possession of polling stations and prevention of free access to the voters for the purpose of voting, threatening electors and preventing them from going to the polling stations to cast their vote and that consequently the poll in the aforesaid 80-Meerut Parliamentary Constituency had not been free and fair;

And whereas, the Commission vide its order dated 21-5-1991, in exercise of the powers conferred by Article 324 of the Constitution, section 58, 58A, 135A and 153 of the Representation of the People

act, 1951, and all other powers enabling it in this behalf, countermanded the election from the said 80-Meerut Parliamentary Constituency;

And whereas, the said order dated 21-5-1991 of the Commission was challenged before the High Court of Delhi in Writ Petition No. 1976 of 1991 by one of the contesting candidates, Shri Amar Pal Singh;

And whereas, the High Court of Delhi by its judgement and order dated 13-5-1993 directed a repoll to be taken in the entire Parliamentary Constituency on the basis of the electoral roll which existed on 20-5-1991;

And whereas, two cross appeals bearing civil appeal numbers 2911 of 1993 and 4220 of 1993 were filed before the Supreme Court by the Election Commission and the said Shri Amar Pal Singh, respectively, against the aforementioned judgement and order dated 13-5-1993 of the High Court of Delhi;

An whereas, the Supreme Court, while disposing of the aforementioned civil appeals by its common order dated 12-4-1994 has directed as follows—

> "Both the appeals are disposed of while leaving the questions of law arising from the impugned judgement open in view of the agreement reached between learned counsels for the parties that a repoll with the same candidates shall be held as expeditiously as possible in all assembly segments of 80-Meerut Parliamentary Constituency except in the segment covered by 394-Hastinapur Assembly Constituency. The election shall be completed on the basis of electoral rolls as were in existence on the date when the orders of Election Commission came to be made. The rights of candidates to question the action of the Election Commission of India as also to challenge the election of the returned candidate on any of the other grounds available to them through an election petition shall remain unaffected. This will, however, not constitute a precedent for future.";

An whereas, the Commission has, in consultation with the Govt. of India in the Ministry of Home Affairs and the State Govt. of Uttar Pradesh, decided that in pursuance of the above quoted order dated 12-4-1994 of the Supreme Court the repoll in 393-Kithore Assembly Constituency, 396-Meerut Cantt Assembly Constituency, 397-Meerut City Assembly Constituency and 398- Kharkhoda Assembly Constituency of the said 80-Meerut Parliamentary Constituency shall be taken on the 26th of May, 1994;

Now, therefore, the Commission in pursuance of the above quoted order dated 12-4-1994 of the Supreme Court hereby directs as follows :—

(1) The fresh poll in 393-Kithore Assembly Constituency, 396-Meerut Cantt Assembly Constituency, 397-Meerut City Assembly Constituency and 398-Kharkhoda Assembly Constituency of the said 80-Meerut Parliamentary Constituency shall be taken on the 26th of May, 1994.

(2) The fresh poll shall be taken between 7 AM and 5 PM.

(3) The fresh poll shall be confined to the same contesting candidates whose names were included in the list of contesting candidates prepared by the Returning Officer on 29th April, 1991 after the last hour for the withdrawal of the candidatures.

(4) The fresh poll shall be taken on the basis of the same electoral rolls of the above-mentioned four Assembly Segments which were in existence on the day of the original poll i.e., 20-5-1991 and no change, whatsoever, shall be made in those rolls for the purpose of the fresh poll.

(5) The fresh poll shall be taken at the same polling stations at which the original poll was taken on 20-5-1991, unless it is not possible to take the fresh poll at any such polling station for any unavoidable reasons, in which case the new location of the affected polling station shall be decided by the District Election Officer, with the previous approval of the Commission, latest by 17th May, 1994.

(6) The result of the election for the said 80-Meerut Parliamentary Constituency shall be computed by the Returning Officer by taking into account the votes polled at the fresh poll in the above mentioned assembly segments of 393-Kithore Assembly Constituency, 396-Meerut Cantt. Assembly Constituency, 397-Meerut City Assembly Constituency and 398-Kharkhoda Assembly Constituency on 26th May, 1994, and the votes already polled in 394-Hastinapur Assembly Segment on 20-5-1991.

[No. 495/UP-HP/91(3)-4162]

By Order and in the name of
Election Commission of India.
HARINDER HIRA, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994